



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 161]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1976/चैत्र 10, 1898

No. 161]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1976/CHAITRA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March 1976

S.O. 262(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and sixteenth Amendment) Rules, 1976

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 for Rule 3, the following Rule shall be substituted, namely:—

“3. Distribution of subjects—

(1) The distribution of subjects among the departments shall be as specified in the Second Schedule to these Rules and sub-rule (2) of this rule.

(2) The compiling of the accounts of each Department shall stand allocated to that Department with effect from the date from which the President relieves, by order made under the first proviso to sub-section (1) of section 10 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, the Comptroller and Auditor General from the responsibility for compiling the accounts of that Department.”

F. A. AHMED,
President.

[No. 74/2/1/75-CF]

J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय
(मंत्रिमण्डल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1976

का० प्रा० 262 (अ).—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ सोलहवां संशोधन) नियम, 1976 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“ 3 विषयों का वितरण—

- (1) विभागों में विषयों का वितरण ऐसा होगा जैसा कि इन नियमों की दूसरी अनुसूची और इस नियम के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट है।
- (2) प्रत्येक विभाग का लेखा-संकलन कार्य उक्त विभाग को उसी तारीख से आवंटित माना जाएगा जिससे राष्ट्रपति, नियंत्रक, और महा-लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 10 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन आदेश द्वारा, नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक को उक्त विभाग के लेखा-संकलन के दायित्व से भार-मुक्त करते हैं। ”।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं० 74/2/1/75-सी० ए००]

जे० एस० मोगिया, सयुक्त सचिव ।